

F. No.14039/86/2014-UTS-I
भारत सरकार/Government of India
गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-1
Dated the 27 August, 2014

To

Shri Ved Pal Yadav,
House No. 20/2,
Railway Road, Samaypur,
Delhi-110042.

Sub:-Information sought under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Kindly refer your application dated 14.07.2014 (received in UTS.I section on 19.08.2014), on the subject noted above.

2. It is submitted that you have sought information on points 1 to 4, mentioned in your RTI application. This office is concerned with point 4 to which reply is as under:-

- Point No. 4: Complaint against IAS/IPS/DANIPS Officers of AGMU Cadre working in GNCTD may be sent to the Joint Secretary(UT), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi. The complaints may also be sent to the Lieutenant Governor, GNCTD

3. The name & designation of 1st Appellate Authority is as follows:-

Shri Iqbal Singh Chahal,
Joint Secretary (UT),
Ministry of Home Affairs,
North Block, New Delhi-110001.

Yours faithfully,





(Anuj Sharma)
Director (Services)/DCPIO
Tel.2309-2436

Copy to:

Ms. Chitra Narayan, Under Secretary(DP)/CPIO, Ministry of Home Affairs,
North Block, New Delhi for information.

2
2/8



(Anuj Sharma)
Director (Services)/DCPIO
Tel.2309-2436

o/c

सुप्रीम कोर्ट
दिनांक. 14-07-2014

केन्द्रीय लोक सुपवा आधिकारी

गृह मंत्रालय

(गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह)

नया बंगला, नई दिल्ली - 110001

M. H. A.

8th Floor

परमेश्वर मार्ग, C.P.O Complex
Cantt Road, Noida

विषय:- सुपवा का आधिकार अधिनियम 2005 का अन्तर्गत आवेदन - पत्र

महोदय,

दिनांक 24-2-2014 को मैंने मंत्रालय में R.T.I आवेदन किया था, P.D.O ऑफ़ सरकारी APPELLATE मजिस्ट्रेट कोर्ट में नई दिल्ली जवाब - अविद्य नहीं करके पत्र में C.D.C. में अपील की थी। इसके बाद मजिस्ट्रेट, श्री श्री इमजाल सिंह चहल, व अन्य आदि के अग्रिम अलग-अलग कुल 13 का मुझे प्राप्त हो चुके हैं, किन्तु उनमें एक भी वाद का जवाब नहीं है। इससे गृह मंत्रालय में वादा अन्वयता का पता चलता है।

मैंने केन्द्रीय सरकार के नए गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के नाम में दिनांक 05-06-2014 को गृह मंत्रालय की लोक सचिव को पत्र लिखा है। पत्र व्यापक रूप से ही वेद का रूप में लिखा है। उपाध्यक्ष लोक सचिव के O.D. तथा लोक सचिव को लिखा है कि वे जवाब देना चाहिए। पावती में मुझे केवल लोक सचिव को लिखनी ही नहीं है। इससे लिखा है कि वे संदर्भ में मुझे R.T.I केवल 2005 के अन्तर्गत विद्य सुपवा के प्रकार में वाद करे।

प्रश्न-1 सरकारी रिपोर्ट के अनुसार वे लिखा है कि गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को विद्य रिपोर्ट में वेद दिया गया, उसकी सुपवा प्रकार है।

प्रश्न-2 उपरोक्त लिखावत का पृ 4 नंबर की कं का रिट.वी
NOTE लिखा, उसकी सुपना साक्ष्य सहित प्रदान करें,

प्रश्न-3 उपरोक्त लिखावत पृ 4 पृ 4 की कार्यवाही की मुझे आज
40 दिनों का ड आ कोई सुपना प्राप्त नहीं है, लिखावत
पृ 4 पृ 4 की कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट ACMOP
Tackey Report की साक्ष्यों सहित सुपनाएं प्रदान करें,

प्रश्न-4 संघ संघ किली में वास्तव I.A.S. / I.P.S ऑफ
JANIP आधीपारियों के कदाचार की लिखावत गृह मंत्रालय
के विल विभाग, आधीपारी से की जा सकती है, सभी सुपनाएं
प्रदान करें

सुपना निश्चित समय अर्थात् 12-8-14 से पूर्ण अवकाश
देने का आदेश करें,

चतुर्वेद

अतिरिक्त शुल्क 10/- केमा
Postal Order NO. 23F 415105

अतिरिक्त
veel
बंदपाल यादव

प्रमाण सं 20/2
रेलवे रोड, सिंगरपुर
बिस्ली - 110042

फोन: 9868467302

